न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 46/2022

अपीलांट –
मोहन पुत्र दीपा जाति मेगवंशी
निवासी दाखां तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. छगनलाल पुत्र खेताराम
3. लिखमा पुत्र भगा

जातियान मेगवंशी निवासी दाखां
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 213 दिनांक 30.11.2010 जो उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री छैलसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री छगनलाल मंसुरिया, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 20.09.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 213 दिनांक 30.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा दाखां के खेत खसरा नबंर 418, 596 एवं 649 रकबा क्रमशः 84–08, 28–06 एवं 03–10 बीघा कुल रकबा 116–04 बीघा के खातेदारान छगनल[illegible] खेताराम, लिखमा वल्द भगा 2/3 मोहन वल्द दीपा [illegible] दिनांक 30.11.2010 को उप तहसीलदार सिणधरी के [illegible] प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार [illegible]पसी रजामंदी व सम[illegible] से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी दाखा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबन्दी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही हैं। मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 213 दिनांक 30.11.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.12.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया जाने पर अपीलांट ने अपने भाइयों रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के कहे अनुसार खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये। हल्का पटवारी ने मौके पर कब्जे–काश्त के विपरीत विभाजन नक्शा तैयार कर दिया। अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है तथा रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आई भूमि अपीलांट के कब्जे में रहवासीय ढाणिया बनी हुई है। लिहाजा मौके पर कब्जा–काश्त एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता होने से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:55 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा [illegible] कि अपीलांट अर्सा कुछ दिन पूर्व रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तथा अपीलांट की ढाणियां व पानी के टांके अपने हिस्से में आने का बताया तथा अपीलांट के आवागमन एवं कृषि कार्य में बाधा डालकर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

रास्ते को अवरूद्ध किया। इस पर वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी व नक्शा की नकलें दिनांक 03.12.2021 प्राप्त की तब ही उसे गलत विभाजन एवं तरमीम की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी होने की दिनांक से सम्यक तत्परता से जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब में अपीलांट की अपील की ताईद करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में सभी सहखातेदार आपसी सहमति से किये बाहमी बंटवाडा अनुसार कब्जा–काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढ़ाणियां बनी हुई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की यह अपील स्वीकार करते हुए मौके पर भूमि का सही रूप से विभाजन किये जाने हेतु सहमत है।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा दाखां के खेत खसरा नबंर 418, 596 एवं 649 रकबा क्रमशः 84–08, 28–06 एवं 03–10 बीघा कुल रकबा 116–04 बीघा के खातेदारान छगनलाल वल्द खेताराम, लिखमा वल्द भगा 2/3 मोहन वल्द दीपा 1/3 कौम मेगवंशी सा0 देह ने दिनांक 30.11.2010 को उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी दाखा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबन्दी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही हैं। मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार [illegible] कारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार [illegible] मद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 213 दिनांक 30.11.2010 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि [illegible]का पटवारी ने मौके पर कब्जे–काश्त के विपरीत विभाजन नक्शा तैयार कर दिया। अपीलांट ग्रामीण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका तथा विभाजन आवेदन उप तहसीलदार सिणधरी से तस्दीक करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है तथा रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आई भूमि अपीलांट के कब्जे में है। रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अभिकथनों को स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर पुनः नये सिरे से कब्जा–काश्त अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति प्रकट की है। लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपील की ताईद कर तथ्यों की स्वीकारोक्ति प्रकट की गई है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है, ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश अपास्त करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन कराया जाना उचित है। इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 213 दिनांक 30.11.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:46:55 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर